दिलावर सिंह (मृतक) जरिये एल०आर०एस०

बनाम

अपर जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद

13 सितंबर 1995

[पीठः न्यायमूर्तिगण के० रामास्वामी, बी०पी० जीवन रेड्डी
व बी०एल० हंसारिया]

उ०प्र० भूमि जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1960: धारा 5, 10 (2).

अधिशेष सीमा क्षेत्र भूमि के उपहार की गणना – लगाई गई सीमा से बचने के लिए दिखावटी लेनदेन –उपहार विलेख द्वारा कवर की गई भूमि को भूस्वामी की जोत से बाहर नहीं रखा जाएगा।

उ०प्र० भूमि जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 10 (2) के तहत निर्गत एक नोटिस के जवाब में, अपीलार्थी ने अपना रिटर्न दाखिल किया, जिसमें उसने उल्लेख किया कि उसने अपने पोते को कुछ जमीनें उपहार में दी थीं। निर्धारित प्राधिकरण के साथ–साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उपहार, अधिनियम की धारा 5 के तहत लगाई गई अधिकतम सीमा से बचने के लिए एक दिखावटी लेनदेन था, इसलिए, उपहार विलेख द्वारा कवर की गई भूमि को अपीलार्थी की जोत से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने भी अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया।

इस न्यायालय में इस प्रश्न पर अपील की गयी कि क्या अपीलार्थी उपहार विलेख के अंतर्गत आने वाली भूमि को अपनी जोत से बाहर रखने का हकदार था:

अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया:

उ०प्र० भूमि जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 5 यह मानता है कि इसके लागू होने की तारीख को और उसके बाद से, कोई भी किरायेदार, इस अधिनियम द्वारा अन्यथा प्रदान किए क्षेत्र को छोड़कर, उस पर लागू होने वाले सीमा क्षेत्र से अधिक क्षेत्र को धारण करने का हकदार नहीं होगा, इसके विपरीत भले ही किसी अन्य कानून, रीति–रिवाज या उस समय लागू प्रथा या समझौते में निहित हो। जब अधिनियम लागू हुआ और घोषणा की गयी कि अगस्त, 1959 के बीसवें दिन या उसके बाद किए गए किसी भी हस्तांतरण या विभाजन को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और इसे ध्यान में नहीं रखा जाएगा, तो वैधानिक प्रावधान की आवश्यकता थी कि अतिरिक्त भूमि की गणना इस प्रकार की जाएगी जैसे कि अगस्त, 1959 के बीसवें दिन या उससे पहले घोषणाकर्ता द्वारा धारित भूमि उसके बाद हुए किसी भी हस्तांतरण या विभाजन के कारण प्रभावित नहीं हुई थी, और ऐसे हस्तांतरण के बावजूद अधिशेष की गणना की जाएगी। निचली अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के मद्देनजर कि उपहार विलेख कानून में एक दिखावटी दस्तावेज था, इसका कोई अस्तित्व नहीं है जो

Digitally signed by VINOD KUMAR CHAURASIA
Date: 2023.10.26 17:06:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अधिशेष क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए सरकार को बाध्य करता है। चूँकि यह एक दिखावटी दस्तावेज था, इसलिए 24 जनवरी 1971 को या उसके बाद हुए किसी भी हस्तांतरण या विभाजन का सत्यापन अपीलार्थी के लिए कोई लाभप्रद नहीं है।

रामधर सिंह बनाम निर्धारित प्राधिकरण और अन्य, [1994] सप. 3 एस.सी.सी. 702, अप्रयोज्य रखा गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2234 सन 1979.

सी.एम.डब्ल्यू.पी. संख्या 522 सन 1978 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.11.78 से।

रवीन्द्र बाना, अपीलार्थियों की ओर से

आर.सी. वर्मा, सुश्री रीना जैन व ए.के. श्रीवास्तव, प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया:

उ०प्र० भूमि जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1960 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 10 (2) के तहत निर्गत एक नोटिस के जवाब में, अपीलार्थी ने अपना रिटर्न दाखिल किया था। उसमें उसने उल्लेख किया था कि 6 मई, 1965 को उसने खसरा संख्या 266 के तहत अट्ठारह बिस्वा 'पुखता', खसरा संख्या 613 के तहत दो बीघा, सात बिस्वा और दस बिस्वांसी खसरा संख्या 616 के अंतर्गत तीन बीघा, सोलह बिस्वा और छः बिस्वांसी इत्यादि उपहार में दिए थे।

सभी अधिकारियों ने समवर्ती रूप से (एक साथ) पाया कि अधिनियम की धारा 5 के तहत लगाई गई सीमा से बचने के लिए उपहार एक दिखावटी लेनदेन है। उच्च न्यायालय ने सी.एम.डब्ल्यू.पी. संख्या 522/78 में अपने आदेश दिनांक 10.11.1978 में इस निष्कर्ष से सहमत होकर याचिका खारिज कर दी:

"मेरे विचार में, निर्धारित प्राधिकारी और निचली अदालत, जिसने विवाद पर निर्धारित प्राधिकारी के निर्णय की पुष्टि की, ने ऐसे निष्कर्ष दर्ज किए हैं जिन्हें किसी भी क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि से दूषित नहीं कहा जा सकता है। वे अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने के हकदार थे और यह अदालत अपने रिट क्षेत्राधिकार में निर्धारित प्राधिकारी के निर्णय के लिए अपने स्वयं के निर्णय को इस आधार पर प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है कि उक्त निर्णय या निचली अपीलीय अदालत का निर्णय रिकॉर्ड पर सामग्री और साक्ष्य के आधार पर इस प्रकार नहीं सुनाया जाना चाहिए था। अगला मुद्दा यह था कि प्लॉट नंबर 992 आबादी भूमि है। पुनः मैं पाता हूं कि विहित प्राधिकारी के आदेश और निचली अपीलीय न्यायालय के निर्णय में आवश्यक चर्चा की गई है और तथ्य का एक निष्कर्ष दर्ज किया गया है जिसे रिट क्षेत्राधिकार में बाधित नहीं किया जा सकता है।"

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री रवीन्द्र बाना ने तर्क दिया कि रामधर सिंह बनाम निर्धारित प्राधिकरण और अन्य, [1994] सप. 3 एस.सी.सी. 702, में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में

रखते हुए, उपहार विलेख द्वारा कवर की गई भूमि को अधिनियम की धारा 5(6) के संचालन द्वारा बाहर रखने की आवश्यकता है। राज्य की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता श्री आर.सी. वर्मा ने तर्क दिया कि शुरू में अधिसूचित तिथि जो कानून द्वारा निर्धारित की गई थी, वह 20 अगस्त, 1959 थी। चूंकि अपीलार्थी ने अधिशेष सीमा क्षेत्र की गणना के लिए अपना रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया था, इसलिए धारा 10 (2) के तहत नोटिस निर्गत की गयी। इसमें वह इस दलील के साथ आया था कि उसने यह जमीन अपने पोते को उपहार में दी थी। चूंकि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने एक तथ्य के रूप में पाया था कि उपहार का लेन–देन एक दिखावा था, इसलिए इसका यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि इसमें कोई अलगाव नहीं था या इसका उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों को विफल करना था। इसलिए, संशोधन अधिनियम को इन परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है। उस दृष्टिकोण से, रामधर सिंह के मामले (सुप्रा) का अनुपात इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी उपहार विलेख के अंतर्गत आने वाली भूमि को अपनी जोत से बाहर रखने का हकदार है। यदि उपहार विलेख वैध माना जाता है, तो उसकी जोत अधिनियम की धारा 5 द्वारा अभिनिर्धारित सीमा के भीतर होगा। लेकिन अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि इसके लागू होने की तारीख को और उसके बाद से, कोई भी किरायेदार, इस अधिनियम द्वारा अन्यथा प्रदान किए क्षेत्र को छोड़कर, उस पर लागू होने वाले सीमा क्षेत्र से अधिक क्षेत्र को धारण करने का हकदार नहीं होगा, इसके विपरीत भले ही किसी अन्य कानून, रीति–रिवाज या उस समय लागू प्रथा या समझौते में निहित हो। इस अधिनियम के लागू होने पर भूमि धारक के लिए लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र का निर्धारण करते समय, अगस्त, 1959 के बीसवें दिन के बाद किए गए भूमि के किसी भी हस्तांतरण या विभाजन, जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हस्तांतरण या विभाजन के लिए अधिशेष भूमि घोषित किया गया होगा, को नजरअंदाज किया जाएगा और ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब अधिनियम लागू हुआ था और घोषित किया गया था कि अगस्त, 1959 के बीसवें दिन या उसके बाद किए गए किसी भी स्थानांतरण या विभाजन को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, सांविधिक प्रावधान में अपेक्षित है कि अतिरिक्त भूमि की गणना इस प्रकार की जाएगी जैसे कि घोषणाकर्ता द्वारा अगस्त, 1959 के बीसवें दिन या उससे पहले धारित भूमि उसके बाद किए गए किसी हस्तांतरण या विभाजन से प्रभावित नहीं हुई थी और ऐसे हस्तांतरण के बावजूद अधिशेष की गणना की जाएगी। निचली अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि उपहार विलेख कानून में एक दिखावटी दस्तावेज था, इसका कोई अस्तित्व नहीं है जो अधिशेष क्षेत्र का निर्धारण करने में सरकार को बाध्य करता है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक दिखावटी दस्तावेज है, 24 जनवरी, 1971 को या उसके बाद किए गए किसी भी स्थानांतरण या विभाजन के सत्यापन का अपीलकर्ता को कोई लाभ नहीं है। उपरोक्त मामले में अनुपात का मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है। कोई लागत नहीं।

अपील खारिज की जाती है।

विनोद कुमार चौरसिया

(अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फ़तेहपुर)